राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक :– प.5(90)निपेवि/नियम/2010/पार्ट – 05/ 2488-H दिनांक :– 12.12.2022

समस्त विभागाध्यक्ष
राजस्थान सरकार।

विषय :– सेवानिवृत होने वाले कार्मिको/अधिकारियों के समस्त पेंशन कागजातो को सेवानिवृति से पूर्व ही प्रेषित कराने के संबंध में।
प्रसंग:– इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक 1734–एच दिनांक 10.05.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में पुनः निवेदन है कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 83(4) के अनुसार किसी कार्मिक/अधिकारी के सेवानिवृत होने से 6 माह पूर्व संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रकरण विभाग को भिजवाए जाने का प्रावधान है, ताकि सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों की अधिकृतियां सेवानिवृति के दिन ही मिल सके, परन्तु देखा गया गया है कि गई प्रकरणों में पेंशन प्रपत्र समय पर नहीं भिजवाये जा रहे है। इस संबंध में राजस्थान पेंशनर्स मंच द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 81 एवं परिशिष्ट 8 के अनुसार कार्यवाही कर नियम 83(4) के अनुसार 6 माह पूर्व पेंशन प्रकरण इस विभाग को भिजवाये जाने हेतु आपके अधिनस्थ सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित करने का श्रम करें ताकि सेवानिवृति की दिनांक तक पेंशन परिलाभों की अधिकृतियां जारी हो सके एवं पेंशनर्स को सेवानिवृति के पश्चात नियमानुसार भुगतान हो सके।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक